राजस्थान–सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान, जयपुर

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel.2227033, 2227725)

क्रमांक एफ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / 6726-36 जयपुर, दिनांक 02.03.2022

(आदेश क्रमांक - 99)

समस्त जिला कलक्टर
एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक नरेगा,
राजस्थान।

विषय :– जिला, ब्लॉक एवं ग्राम संसाधन व्यक्तियों की सूचना नरेगा सॉफ्ट पर रजिस्ट्रेशन बाबत।
संदर्भ :– कार्यालय के आदेश क्रमांकः एफ.61(64)SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / 6236–57 दिनांक 09.02.2022 एवं समसंख्या आदेश क्रमांकः 6267–87 दिनांक 10.02.2022 और विभिन्न आदेशों द्वारा दिशा–निर्देश के क्रम में

भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक जिले व ब्लॉक स्तर पर जिला रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विलेज रिसोर्स पर्सन का नाम नरेगा–सॉफ्ट पोर्टल भरा जाना है। वर्तमान में इस संबंध में दो तरह के रिसोर्स पर्सन हैं–

1. महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक जिले व ब्लॉक स्तर पर पहले से चयनित व नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विलेज रिसोर्स पर्सन
2. नव प्रस्तावित नियमित सामाजिक अंकेक्षण हेतु प्रत्येक पंचायत समिति की दो ग्राम पंचायतों के लिए चयनित व नियोजित जिला रिसोर्स पर्सन, ब्लॉक रिसोर्स पर्सन, विलेज रिसोर्स पर्सन

इनमें पूर्व नियोजित संसाधन व्यक्तियों की संख्या लगभग 36000 होगी, जबकि नव प्रस्तावित की संख्या लगभग 4500 है। नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर दोनों की ही एन्ट्री की जानी है। इसमें जो संसाधन व्यक्ति दोनों में समान होंगे, उनकी एकल एन्ट्री ही होगी। पूर्व नियोजित संसाधन व्यक्तियों की सूचना एक्सेल शीट में पहले से मनरेगा, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इसमें डाटा एंट्री में नाम के साथ संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर भी अंकित किया जाना है और उस मोबाइल नंबर को ओटीपी से वैलिडेट किये जाने पर ही एंट्री पूर्ण होगी। ऐसे में उचित होगा कि समस्त रिसोर्स पर्सन का को दिनांक 4 यी 5 मार्च को ब्लॉक स्तर पर बुलाकर एमआईएस मैनेजर अथवा अन्य कार्मिक के माध्यम से इसकी डाटा एंट्री कर ली जाए। एक ब्लॉक में लगभग 100 विलेज रिसोर्स पर्सन है और व्यावहारिक रूप से संख्या बहुत अधिक नहीं है, ऐसे में यह सारी एंट्री एक दिवस में हो सकती है। जहां आवश्यक हो, वहां उन्हें 2 सत्र में भी बुलाया जा सकता है। जो लोग वर्तमान में प्रारंभ हो रहे नियमित सामाजिक अंकेक्षण का कार्य कर रहे हैं, उनसे फील्ड में भी ओटीपी पूछ कर भरा जा सकता है। इस संबंध में दिनांक 28.02.2022 को समस्त एमआईएस मैनेजर्स का विधिवत प्रशिक्षण भी संपादित करवा दिया गया है। आवश्यकतानुसार संख्या में ब्लॉक / ग्राम संसाधन व्यक्तियों को पंचायत समिति स्तर पर बुलवाकर इसके लिये ओटीपी प्राप्त करना अथवा

अन्य तकनीकी पूर्तियां करते हुए उनकी उपलब्ध विगत (details) की प्रविष्टियां नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर दिनांक 06.03.2022 तक आवश्यक रूप से सम्पन्न कराई जावे।

भारत सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नवीन कार्य योजना एवं श्रम बजट के अनुमोदन से पूर्व इस समस्त सूचना को नरेगा सॉफ्ट पोर्टल पर एन्टर किया जाना आवश्यक किया गया है, अतः जिला तथा ब्लॉक स्तर पर इस कार्य को एक विशेष अभियान के रूप में संपन्न किया जाना है। इसके लिए पोर्टल पर प्रपत्र संख्या रिपोर्ट संख्या निर्धारित है। यह सूचना आगामी 3 दिवस में ही भरी जानी है। अतः दिनांक 06.03.2022 तक ये एंट्रीज अवश्य पूर्ण कर लें। इसके लिये यदि आवश्यकता हो तो दो सप्ताह के लिये अतिरिक्त मशीन विद् मैन की सेवायें लेने की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसका व्यय मनरेगा योजना के प्रशासनिक मद से अनुमत किया जाता है।

(के. के. पाठक)
शासन सचिव
ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक एफ.61(64) SSAAT / कलैण्डर / 20210–21 / जयपुर, दिनांक : 02.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सह अध्यक्षा, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग सह सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान।
5. निजी सचिव, निदेशक सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT)
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा एवं मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट इस कार्यालय को प्रेषित करें।
7. कार्यक्रम अधिकारी (मनरेगा) एवं ब्लॉक विकास अधिकारी पंचायत समिति, समस्त को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की अविलम्ब पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट जिला परिषद के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करें।
8. उप निदेशक / लेखाधिकारी, (प्रशासन) / लेखाधिकारी (सामाजिक अंकेक्षण), सहायक लेखाधिकारी (समस्त) / कनिष्ठ लेखाकार (समस्त) एवं समस्त अधिकारी कर्मचारीगण, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को पालनार्थ।
9. प्रोग्रामर / सूचना सहायक, SSAAT को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सोसायटी की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक, SSAAT